निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 838) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई, 2026

सं० वि०स०वि०-16/2026-**3306**/वि०स०।— ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-21 जुलाई, 2026 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-14/2026]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–

(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम की धारा 2 से धारा 4, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **धारा 15 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् बिहार माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (3) में खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात्, यदि ऐसी छूट के लिए पूर्तिकार द्वारा जमापत्र जारी किया गया है और ऐसी छूट से जुड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय धारा 34 के उपबंधों के अनुसार पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।''।

3. **धारा 34 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में, ''दोनों में कमी पायी जाती है'' शब्दों के पश्चात्, "या जहां धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसार कोई छूट दी जाती है", शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. **धारा 54 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उपधारा (6) में, ''शून्य दर वाले मालों या सेवाओं या दोनों'', शब्दों के पश्चात्, ''या उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन अनुज्ञात अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय'' शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (14) में, ''इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,'' शब्दों के पश्चात्, "उन मामलों से भिन्न, जहां कर के संदाय के साथ भारत से निर्यात किए गए माल के कारण कर के प्रतिदाय का दावा किया जाता है, वहां'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्त्ती या गैर–आवर्त्ती व्यय शामिल नहीं है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिजेन्द्र प्रसाद यादव,

भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से बिहार राज्य सहित पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू की गई।

जीएसटी परिषद् की पिछली बैठकों में परिषद् द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 में वर्णित डिस्काउंट को बिक्री की राशि में घटाए जाने के संबंध में एक सरलीकृत व्यवस्था अपनाए जाने की अनुशंसा की गई थी। इसी प्रकार निर्यातकों को मिलने वाली 90 प्रतिशत प्रोविजनल रिफंड जैसी सुविधा इनवर्टेड डयूटी वाले मामलों में भी दिए जाने की भी सिफारिश की गई थी।

उक्त अनुशंसाओं को संसद द्वारा वित्त अधिनियम, 2026 में शामिल किया जा चुका है तथा यह भारत के राजपत्र में दिनांक 30 मार्च, 2026 को प्रकाशित भी हो चुका है।

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना वांछनीय है।

प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15, 34, एवं धारा 54 में संशोधन का प्रस्ताव है।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्येश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

बिजेन्द्र प्रसाद यादव,
भार–साधक सदस्य।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा ।

पटना,
दिनांक–21.07.2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 838-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in